up the Gorakphur unit, to be set up at Gorakhpur.

Trains Detained at Jharsuguda (Orissa)

*246. SHRI SANATAN BISI: Will the Minsiter of RAILWAYS be pleased to state;

(a) whether Government are aware that all running trains were detained for about one hour at Jharsuguda (Orissa) in the morning of 6th July last due to harassment of the passengers by Railway Protection Force (Police);

(b) whether any enquiry is being conducted; and

(c) if so, what are the details thereof?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी हां। मुंबई जाने वाली गाड़ी नं० 8002 में मार्गरक्षी ड्यूटी पर तैनात रेल सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा कथित उत्पीड़न के विरुद्ध यात्रियों के प्रदर्शन के कारण 6.7.97 को झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन पर तीन गाड़ियों अर्थात गाड़ी नं० 8002 अप (हावड़ा-मुंबई मेल), गाड़ी नं० 8034 अप (हवड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस) और 8690 डाऊन (अलेपी-बोकारो स्टील सिटी एक्सप्रेस) को रुकना पड़ा था।

6.7.97 की इस घटना के बारे में दक्षिण पूर्व रेलवे के रेल सुरक्षा बल द्वारा की गई जांच से पता चला हैं कि टाटा रेलवे स्टेशन के गाड़ी मार्गरक्षी कम्पनी के रेल सुरक्षा बल के 4 कार्मिक मार्गरक्षी ड्यूटी के लिए गाड़ी में (नं० 8002) चल रहे थे। परंतु इन 4 कार्मिकों ने गाड़ी में यात्रियों के टिकट देखने शुरू कर दिए जिसके लिए वे प्राधिकृत नहीं थे। यात्रियों ने इसका विरोध किया। मार्गरक्षी दल की कार्रवाई के विरोध में यात्रियों ने उक्त गाड़ियों को रोका और वे रेलवे सुरक्षा बल के संबंधित कार्मिकों के निलंबन की मांग करने लगे। यात्रियों की शिकायत पर राजकीय रेलवे पुलिस, झारसुगुड़ा ने रेल सुरक्षा बल के मार्गरक्षी दल के विरुद्ध एक मामला दायर किया है। रेल सुरक्षा बल के कार्मिकों को 25.7.97 को गिरफ्तार किया गया था और 30.7.97 को अदालत ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया था। पुलिस में मामला दर्ज होने के अलावा दक्षिण पूर्व रेल प्रशासन ने रेल सुरक्षा बल के कार्मिकों के विरुद्ध बड़े दंड की अनुशासनिक कार्रवाई करके उन्हें 6.7.97 को निलंबित कर दिया है।

उपसभापति: अब आप जल्दी से अपना प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री सनातन बिसि: मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो मिसयूज हो रहा है, इस पर आप फ्यूचर ऐक्शन क्या लेंगे?

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति महोदया, जिन कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें आई हैं, मैंने अपने जवाब में भी कहा है कि इन चारों को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। इनको 25.7.97 को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अदालत को सौंप दिया गया। रेलवे सुरक्षा बल के खिलाफ जो भी इस तरह की शिकायत हमारे सामने आती है, उस पर हम तुरंत कार्यवाही करते हैं। यदि माननीय सदस्य पिछले 3 सालों के आंकड़ें देखें तो हमें 1995 में 6, 1996 में 7 और जून, 1997 तक 2 रिबोर्ट्स मिली हैं और इन 15 मामलों में रेलवे सुरक्षा बल के 30 कर्मी शामिल पाए गए। इनमें से 13 कर्मियों को सेवा से हटा दिया गया, एक के रैंक में कटौती करके उसे दंडित किया गया, 8 कर्मियों की वेतन-वृद्धि पर रोक लगा दी गई और 5 कर्मियों के खिलाफ जांच-पड़ताल लंबित है। और तीन अदालती मामलों का सामना कर रहे हैं। तो इस तरह का खासकर रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों के खिलाफ जब हमारे पास में कोई शिकायत आती है चूंकि वह रक्षक हैं, उनका काम है रक्षा करना और अगर उनके खिलाफ इस तरह की शिकायत आती है तो उनके खिलाफ हम गहन छानबीन करते हैं और अगर यह सामने आता है कि वह सचमुच में दोषी हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERES TO STARRED QUESTIONS

Gauge Conversion of Silchar-Lumding Railway line

*243. SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: